

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 505/2024
अनवान : -

1. सुनील कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर।
- वादी

बनाम्

1. जगदीश प्रसाद पुत्र कुम्भाराम जाति माली निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर।
2. कैलाश कुमार सैनी पुत्र जगदीश प्रसाद सैनी जाति माली निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर।
3. दीपक कुमार पुत्र जगदीश जाति माली निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०
अधि० 1955


उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 18/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 22 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 33/34 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 1.7710 है० भूमि एवं रोही मौजा 23 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0.7590 है० भूमि एवं खाता संख्या 45/43 के कुल खसरे 20 की कुल तादादी 3.5410 है० भूमि एवं रोही मौजा 1 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 23/21 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.2650 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 22 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 171/116 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.5060 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 77/75 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 1.5180 है० भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है तथा वादी व प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि का पारिवारिक बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार चक 22 एनटीआर के प० नं० 341/424 (72) के किला नं. 1/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 1/2 की 0.2280 है०, 2/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 2/2 की 0.2280 है०, 9 की 0.2530 है०, 10 के मिन पूर्व की 0.101 है०, कुल किता 6 की कुल तादादी 0.860 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 कैलाश कुमार सैनी काबिज है एवं प० नं० 341/424 (72) के किला नं. 10 के मिन पश्चिम की 0.152 है०, 11 की 0.2530 है०, 12 के मिन उत्तर पूर्वी कोना की 0.001 है० गै० मु० रास्ता, 12 की 0.2520 है, 13 के मिन उत्तर की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, 13 की 0.240 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 3 दीपक कुमार काबिज है व इसी चक के खाता संख्या 171/116 के प० नं० 341/424 (72) के किला नं. 14 के मिन उत्तर की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, 15/3 के मिन उत्तर की 0.010 है० गै० मु० रास्ता को छोड़कर शेष भूमि पर दीपक यथावत काबिज है तथा चक 23 एनटीआर के प० नं० 342/426 (8) किला नं. 11, 20, 0.759 है०, प०


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नं० 339/427 (18) किला नं. 19, 20 की 0.5060 है० प० नं० 339/428 (25) किला नं. 2 के मिन पूर्व की 0.1265 कुल 1.3915 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 कैलाश कुमार सैनी काबिज है एवं प० नं० 341/425 (26) किला नं. 24 की 0.2530 है०, 25/1 की 0.0380 है० गै० मु० रास्ता, 25/2 की 0.2150 है० प० नं० 341/426 (9) किला नं. 4/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 4/2 की 0.0760 है०, 4/3 की 0.0250 है०, 5/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 5/2 की 0.0380 है० गै० मु० रास्ता, 5/3 की 0.063 है० प० नं० 338/427 (17) के किला नं. 16 व 25 की 0.506 है० व प० नं. 338/428 (26) किला नं. 5 व 6 की 0.506 है० प० नं० 339/427 (18) के किला नं. 11 के मिन पूर्व की 0.013 है० गै० मु० रास्ता किला नं. 11 के मिन पश्चिम की 0.240 है०, 20 के मिन उत्तर पूर्वी कोना की 0.001 है० गै० मु० रास्ता 20 के दक्षिण पश्चिम की 0.252 है०, 21 की 0.253 है० प० नं. 339/428 (25) के किला नं. 1 की 0.2350 है०, 2 के मिन पश्चिम की 0.1265 है० कुल किला 19 की कुल तादादी 2.9085 है० पर वादी सुनील कुमार काबिज है। चक 1 बीकेके के प० नं० 310/433 (47) किला नं. 12 की 0.2530 है०, 19 के मिन पूर्व की 0.190 है०, 22 के मिन पूर्व की 0.190 है० कुल 0.633 है० पर प्रतिवादी संख्या 2 कैलाश कुमार सोनी काबिज है तथा प० नं० 310/433 (47) के किला नं. 20 व 21 की 0.506 है०, 19 के मिन पश्चिम की 0.063 है०, 22 मिन पश्चिम की 0.063 है० कुल 0.632 है० पर वादी सुनील कुमार काबिज है तथा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 77/75 के कुल खसरे 6 की 1.5180 है० भूमि में से 1/6 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है और इसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।


वादी ने प्रतिवादी सं० 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


 उपखण्ड अधिकारी
 बोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 22 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 33/34 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 1.7710 है० भूमि एवं रोही मौजा 23 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0.7590 है० भूमि एवं खाता संख्या 45/43 के कुल खसरे 20 की कुल तादादी 3.5410 है० भूमि एवं रोही मौजा 1 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 23/21 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.2650 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 22 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 171/116 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.5060 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 77/75 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 1.5180 है० भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 22 एनटीआर के खाता संख्या 33/34 व 23 एनटीआर के खाता संख्या 19/19 व खाता संख्या 45/43 व रोही मौजा 1 बीकेके के खाता संख्या 23/21 में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर चक 22 एनटीआर के प० नं० 341/424 (72) के किला नं. 1/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 1/2 की 0.2280 है०, 2/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 2/2 की 0.2280 है०, 9 की 0.2530 है०, 10 के मिन पूर्व की 0.101 है०, कुल किता 6 की कुल तादादी 0.860 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 2 कैलाश कुमार सैनी को खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है व एवं प० नं० 341/424 (72) के किला नं. 10 के मिन पश्चिम की 0.152 है०, 11 की 0.2530 है०, 12 के मिन उत्तर पूर्वी कोना की 0.001 है० गै० मु० रास्ता, 12 की 0.2520 है, 13 के मिन उत्तर की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, 13 की 0.240 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 3 दीपक कुमार को खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है व इसी चक के खाता संख्या 171/116 के प० नं० 341/424 (72) 14 के मिन उत्तर की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, 15/3 के मिन उत्तर की 0.010 है० गै० मु० रास्ता दर्ज किया जाकर शेष भूमि दीपक कुमार प्रतिवादी स० 3 के नाम यथवत रहेगी तथा चक 23 एनटीआर के प० नं० 342/426 (8) किला नं. 11, 20, 21 की 0.759 है०, प० नं० 339/427 (18) किला नं. 19, 20 की 0.5060 है० प० नं० 339/428 (25) किला नं. 2 के मिन पूर्व की 0.1265 है० कुल 1.3915 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 2 कैलाश कुमार सैनी को खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है एवं प० नं० 341/425 (6) किला नं. 24 की 0.2530 है०, 25/1 की 0.0380 है० गै० मु० रास्ता, 25/2 की 0.2150 है० प० नं० 341/426 (9) किला नं. 4/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 4/2 की 0.0760 है०, 4/3 की 0.0250 है०, 5/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 5/2 की 0.0380 है० गै० मु० रास्ता, 5/3

की 0.063 है० प० नं० 338/427 (17) के किला नं. 16 व 25 की 0.506 है० व प० नं. 338/428 (26) किला नं. 5 व 6 की 0.506 है० प० नं० 339/427 (18) के किला नं. 11 के मिन पूर्व की 0.013 है० गै० मु० रास्ता किला नं. 11 के मिन पश्चिम की 0.240 है०, 20 के मिन उत्तर पूर्वी कोना की 0.001 है० गै० मु० रास्ता 20 के दक्षिण पश्चिम की 0.252 है०, 21 की 0.253 है० प० नं. 339/428 (25) के किला नं. 1 की 0.2350 है०, 2 के मिन पश्चिम की 0.1265 है० कुल किता 19 की कुल तादादी 2.9085 है० का वादी को खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है व एवं चक 1 बीकेके के प० नं० 310/433 (47) किला नं. 12 की 0.2530 है०, 19 के मिन पूर्व की 0.190 है०, 22 के मिन पूर्व की 0.190 है० कुल 0.633 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है तथा प० नं० 310/433 (47) के किला नं. 20 व 21 की 0.506 है०, 19 के मिन पश्चिम की 0.063 है०, 22 के मिन पश्चिम की 0.063 है० कुल 0.632 है० भूमि वादी को खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है व तथा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 77/75 के कुल खसरे 6 की 1.5180 है० भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगीयदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीय नक्शा तरमीम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/06/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

al.
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 505/2024

अनवान : -

1. सुनील कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर।
- वादी

बनाम्

1. जगदीश प्रसाद पुत्र कुम्भाराम जाति माली निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर।
2. कैलाश कुमार सैनी पुत्र जगदीश प्रसाद सैनी जाति माली निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर।
3. दीपक कुमार पुत्र जगदीश जाति माली निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 505 सन 2024 निर्णय दिनांक 18/06/2024


आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 22 एनटीआर के खाता संख्या 33/34 व 23 एनटीआर के खाता संख्या 19/19 व खाता संख्या 45/43 व रोही मौजा 1 बीकेके के खाता संख्या 23/21 में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर चक 22 एनटीआर के प0 नं0 341/424 (72) के किला नं. 1/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 1/2 की 0.2280 है0, 2/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 2/2 की 0.2280 है0, 9 की 0.2530 है0, 10 के मिन पूर्व की 0.101 है0, कुल किता 6 की कुल तादादी 0.860 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 कैलाश कुमार सैनी को खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है व एवं प0 नं0 341/424 (72) के किला नं. 10 के मिन पश्चिम की 0.152 है0, 11 की 0.2530 है0, 12 के मिन उत्तर पूर्वी कोना की 0.001 है0 गै0 मु0 रास्ता, 12 की 0.2520 है, 13 के मिन उत्तर की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 13 की 0.240 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 दीपक कुमार को खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है व इसी चक के खाता संख्या 171/116 के प0 नं0 341/424 (72) 14 के मिन उत्तर की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 15/3 के मिन उत्तर की 0.010 है0 गै0 मु0 रास्ता दर्ज किया जाकर शेष भूमि दीपक कुमार प्रतिवादी स0 3 के नाम यथवत रहेगी तथा चक 23 एनटीआर के प0 नं0 342/426 (8) किला नं. 11, 20, 21 की 0.759 है0, प0 नं0 339/427 (18) किला नं. 19, 20 की 0.5060 है0 प0 नं0 339/428 (25) किला नं. 2 के मिन पूर्व की 0.1265 है0 कुल 1.3915 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 कैलाश कुमार सैनी को खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 341/425 (6) किला नं. 24 की 0.2530 है0, 25/1 की 0.0380 है0 गै0 मु0 रास्ता, 25/2 की 0.2150 है0 प0 नं0 341/426 (9) किला नं. 4/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 4/2 की 0.0760 है0, 4/3 की 0.0250 है0, 5/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 5/2 की 0.0380 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/3 की 0.063 है0 प0 नं0

al

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

338/427 (17) के किला नं. 16 व 25 की 0.506 है0 व प0 नं. 338/428 (26) किला नं. 5 व 6 की 0.506 है0 प0 नं0 339/427 (18) के किला नं. 11 के मिन पूर्व की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता किला नं. 11 के मिन पश्चिम की 0.240 है0, 20 के मिन उत्तर पूर्वी कोना की 0.001 है0 गै0 मु0 रास्ता 20 के दक्षिण पश्चिम की 0.252 है0, 21 की 0.253 है0 प0 नं. 339/428 (25) के किला नं. 1 की 0.2350 है0, 2 के मिन पश्चिम की 0.1265 है0 कुल किता 19 की कुल तादादी 2.9085 है0 का वादी को खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है व एवं चक 1 बीकेके के प0 नं0 310/433 (47) किला नं. 12 की 0.2530 है0, 19 के मिन पूर्व की 0.190 है0, 22 के मिन पूर्व की 0.190 है0 कुल 0.633 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है तथा प0 नं0 310/433 (47) के किला नं. 20 व 21 की 0.506 है0, 19 के मिन पश्चिम की 0.063 है0, 22 के मिन पश्चिम की 0.063 है0 कुल 0.632 है0 भूमि वादी को खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है व तथा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 77/75 के कुल खसरे 6 की 1.5180 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीय नक्शा तरमीम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/5/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर